राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2010 पार्ट–I जयपुर, दिनांक 30 SEP 2014

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद सिरोही।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।
संदर्भ :– आपका पत्रांक 350 दिनांक 05.08.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रति 5 ग्राम पंचायत पर 1 पद तथा मरूस्थलीय तथा जनजातिय उपयोजना क्षेत्र में प्रति 3 ग्राम पंचायतों में 1 पद की दर से कनिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 2061 पद स्वीकृत है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के साथ किये जाने वाले संविदा अनुबन्ध पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) के हस्ताक्षर होते है। तद्उपरान्त इन कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की सेवाएं संविदा अवधि में ही कार्य उपलब्धता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत अथवा पंचायत समिति में आवश्यकतानुसार ली जाती है।

जिला स्तर पर तकनीकी कार्मिकों के सुपरविजन हेतु अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) का पद है। अतः भविष्य में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के कार्य के निष्पादन/मूल्यांकन के संबंध में जिला स्तर पर पदस्थापित अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) की टिप्पणी ली जावे।

भवदीय,

(एस.आर.मिलानिया)
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ईजीएस (सिरोही के अलावा) जिला परिषद राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस